नकल तस्दीक हिन्दी वाक्य —

[illegible] के वादग्रस्त थाना [illegible] जनपद [illegible] आज दिनांक [illegible] की दिन के लगभग एक बजे प्रार्थी श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनऊ के न्यायालय के समक्ष सत्र परीक्षण संख्या 162/2008 तथा 163/2008 राज्य बनाम सौहार्द में अभियुक्त सौहार्द के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हुआ था और अभियुक्त की हथकड़ी लगाकर न्यायालय में उपस्थित करने पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। लगभग 12 बजे दिन में मिस्टर [illegible] यादव उर्फ जीतू यादव एडवोकेट तथा अन्य लगभग 20-25 अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में घुस आये तथा प्रार्थी से अभियुक्त को मारने की धमकी देकर अधिवक्ता को कहे प्रार्थी देख कर पश्चात सकता है लेकिन नाम से नहीं जानता घटना के बाद न्यायालय कक्ष में मि० डालर एडवोकेट तथा मि० रजी [illegible] आदि ने प्रार्थी को पकड़ कर बचाया। [illegible] के [illegible] रहे। प्रार्थी को आपत्ति है चोट आई तथा न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। [illegible] मु० [illegible] पुत्र स्व० अली नं० 1652/13 [illegible] कमल [illegible] निवासी लखनऊ थाना [illegible] न्यायालय [illegible] के पीछे [illegible] 14-08-2008।

नोट — [illegible] 287 [illegible] प्रमाणित नकल तस्दीक की नकल चिपका दाखिल पत्रावली की।

13/08/2008

मुकदमा नं० 380 A/08 धारा 154 दं० प्र० सं० थाना [illegible] प्रकार, पृष्ठ

थाना ...

सब-डिवीजन ...

जिला ...

संख्या 352/08

घटना का दिनांक व समय 12/08/2008

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन को रवाना किये जाने का समय
13/08/2008 2:10 pm	[illegible]	[illegible]

नोट: प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि कार्यवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी या अगर नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी	मुकदमा का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

हस्ताक्षर ...

पद 13.8.08

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी।

नोट-सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिये।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 01 पुलिस-17-5-07-(229)-40,000 किताबें कम्प्यूटर/आफसेट।

13-8-08